भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2627
दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 / 27 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पुलिस प्रतिष्ठानों का आधुनिकीकरण करने की परियोजना

2627# डा. दिनेश शर्माः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में पुलिस प्रतिष्ठानों के आधुनिकीकरण हेतु किसी परियोजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस आधुनिकीकरण के उद्देश्यों और वित्तीय परिव्यय का ब्यौरा क्या हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): पुलिस बलों का आधुनिकीकरण एक सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। पुलिस के बुनियादी ढांचे को विकसित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, अपने पुलिस बलों को सुसज्जित करने और आधुनिक बनाने के राज्यों के प्रयासों में "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना [पूर्व में "पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता" की योजना] के तहत केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

योजना का उद्देश्य प्रासंगिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है। योजना का फोकस सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण आदि से लैस करके पुलिस बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक स्तर पर मजबूत करना है। इसके अतिरिक्त, इसमें गतिशीलता और आवास सहित अन्य पुलिस बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है, जो केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए होगा।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2627, दिनांक 18.12.2024

"पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता (एएसयूएमपी)" योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान, पांच वर्षों के लिए 4846 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय की मंजूरी दी गई है।

****